



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 13 नवम्बर, 2022

थाना कोतवाली नगर

सर्गाफ की दुकान में हुई लूट का सफल अनावरण, 04 आरोपी लूटे गये आभूषण (01 किलो 427 ग्राम चांदी) व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत धमैड़ा अड्डे के पास सर्गाफा नेमपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम उतरावली थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर की अरविन्द कुमार ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, पर दिनांक 03.11.2022 को बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा नेमपाल उपरोक्त के बेटे राहुल को गोली मारकर लूट करने की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-979/2022 धारा 394,506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

इस घटना की सूचना पर तत्काल जनपद के अधिकारीगण एवं समस्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा आईजी मेरठ महोदय द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कुल 07 टीमों का गठन किया गया था। उक्त क्रम में आज दिनांक 13.11.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर सर्गाफ की दुकान से लूट से संबंधित दो अभियुक्त सचिन व बादल को धमैड़ा तिराहे के पास से अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर दो अन्य अभियुक्त अजहर व इमरान को मामन चुंगी के पास से लूटे गये आभूषणों सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- सचिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जसनावली खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2- बादल पुत्र संजय निवासी गिरधारीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 3- इमरान पुत्र अब्दुल करीम निवासी मौहल्ला तरीनान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- अजहर पुत्र खीजर निवासी मौहल्ला राधाकृष्ण थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. आभूषण - 08 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 64 जोड़ी बिछवे सफेद धातु (कुल 01 किलो 427 ग्राम)
2. 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन व बादल द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उनके द्वारा अपने दो अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर अरविन्द कुमार ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की योजना बनायी गई थी तथा उनके द्वारा घटना के समय रैकी की गई थी। दिनांक 03.11.2022 को दोनो फरार साथियों द्वारा मौका देखकर दुकान के अन्दर घूसकर दुकानदार को जान से मारने की नियत से फायर कर तिजोरी में रखे आभूषण के डिब्बे लूट लिये थे तथा घटना के बाद लूटे गये आभूषण में से कुछ आभूषण बिक्री के लिए अजहर व इमरान को दे दिये थे तथा शेष आभूषण दोनो फरार साथी अपने साथ ले गये। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-417/21 धारा 392/411 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2- मुअसं-431/21 धारा 307/34 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3- मुअसं-432/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 4- मुअसं-432/21 धारा 414/34 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 5- मुअसं-979/22 धारा 394,506/120बी/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं- 1002/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-979/22 धारा 394,506/120बी/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 1003/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
- 2- निरीक्षक श्री अतुल कुमार
- 3- उ०नि० लोकेश कुमार
- 4- है०का० संजीव बालियान, है०का० अशोक कुमार, है०का० संजीव शर्मा, का० सलीम चौधरी

